भारत सरकार की कृषिगत–एवं अन्य जन–लाभकारी योजनाए

कृषि कुंभ (अक्टूबर, 2023),
खण्ड 03 भाग 05, पृष्ठ संख्या 91–97

भारत सरकार की कृषिगत–एवं अन्य जन–लाभकारी योजनाऐं: जानकारी एवं परिदृश्य

डॉ0 महेन्द्र पाल, विजय कुमार, डॉ0 दिव्या तिवारी एवं डॉ0 अनिरूद्व प्रताप सिंह'

नालंदा उधान महाविधालय, नूरसराय, नालंदा, बिहार (बिहार कृषि विश्वविधालय, सबौर, भागलपुर) भारत।

Email Id: apsingh_coh@yahoo.com

भारत एक कृषि प्रधान देश है प्राचीनकाल से ही यहाँ कृषि की गौरवशाली परम्परा रही है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधार स्तम्भ है। कृषि सेक्टर को आर्थिक विकास का मुख्य आधार माना जाता है। लगभग 60% भारतीय आबादी कृषि से जुड़ी हुई है और इस सेक्टर की ग्रोथ का अर्थव्यवस्था के विकास में बड़ा योगदान है। भारत के कुछ राज्यों में कृषि सेक्टर अन्य राज्यों की तुलना में अत्याधिक विकसित है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। इन राज्यों में कृषि के लिए उपयुक्त मौसम, मिट्टी की उपलब्धता और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता होने के कारण यह सेक्टर विकसित होता है। भारतीय कृषि देश के आंतरिक और बाहरी आदान–प्रदान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चाय, चीनी, तंबाकू, केला, आम, काजू, आदि जैसे कृषि उत्पाद हमारी वस्तुओं की मूलभूत चीजें हैं और हमारे सभी व्यापारों में लगभग 50% शामिल हैं। उत्पादित जूट के अलावा, कपास एवं अन्य रेंगो वाली फसलें और चीनी भी देश के लगभग कुल उत्पादों का 20% प्रदान करते हैं।

भारतीय कृषि को सुद्रढ बनाने के लि, सरकार ने किसानों के लिए कई हितकारी योजनाएं चला रखी हैं जिनकी कई किसानों को ससमय जानकारी नहीं होने से वे इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। सरकार ने किसानों के हित में जो योजनाएं संचालित की है उनमें खेत से लेकर घर तक की व्यवस्था तक का उद्देश्य निहित है। इन योजनाओं का समय पर लाभ उठाकर किसान बन्धु काफी हद तक अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं। सरकार से मिलने वाली सहायता सीधे किसान के खातों में दी जाती है जिससे किसानों को सीधे तौर पर मदद मिल सके। सरकार की ओर से योजनाओं की पारदर्शिता बनाए रखने का भरपूर प्रयास किया जाता है ताकि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। वैसे तो राज्य एवं केन्द्र सरकार ने अनेक कृषक लाभकारी योजनायें कियावित कर रखी है। एवं समय समय पर अनेक प्रकार के माध्यमों का प्रयोग कर सरकारें उन योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करती है। उनमें से कुछ प्रमुख योजनाओं का विवर.ा निम्न प्रकार से प्रस्तुत है।:–

1–प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना:–

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है, जो छोटे और सीमान्त किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर (4.9 एकड़) से कम भूमि है उनको आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत सभी किसानो को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6 हजार रूपया मिल रहा है। यह 1 दिसंबर 2018 से लागू यह योजना किसानो के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र किसान

को तीन किश्तों में भुगतान किया जाता है और सहायता राशी सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाती है। जिसमे प्रत्येक 4 माह के बाद किसान को 2 हजार की सहायता राशि दी जा रही है। योजना की शुरुआत वर्ष 2018 के रबी सीजन में की गई थी। उस समय सरकार ने इसके लिए 20 हजार करोड़ रुपये का अग्रिम बजटीय प्रावधान करा लिया था। जबकि योजना पर सालाना खर्च 75 हजार करोड़ रुपये आने का अनुमान था। लेकिन देश में किसानों की संख्या जायदा होने के कारण एवं इस योजना में किसानों की दिलचस्पी होने के करें सालाना खर्च में बढ़ोतरी हुई है। छोटे किसानों के लिए यह योजना अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है। बुवाई से ठीक पहले नगदी संकट से जूझने वाले किसानों को इस नकदी से बीज, खाद और अन्य इनपुट की उपलब्धता में सहूलियत मिल रही है। इस योजना का लाभ दो हेक्टेयर खेती वाली जमीन से कम रकबा वाले किसानों को दिए जाने का प्रावधान है। पीएम किसान सम्मान निधि की अधिक जानकारी के लिए https://pmkisan.gov.in/ बेवसाइट देखें सकते है।

2– प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण :–

यह केंद्र की मोदी सरकार द्वार चलाई गई योजना है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2022 तक ज्यादा से ज्यादा परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत सरकार बिजली की आपूर्ति और स्वच्छता जैसी सभी बुनियादी सुविधाओं की विशेषता वाले पक्के घरों के निर्माण के लिए पैसे की सहायता प्रदान करती है। वे सभी परिवार जिनके पास घर नहीं है या वर्तमान में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे या जर्जर घरों में रह रहे हैं, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीएमएवाई–जी में आप 6 लाख रुपए का लोन सालाना 6.5 फीसदी तक की ब्याज दर पर ले सकते हैं। घर का न्यूनतम आकार सभी बुनियादी सुविधाओं जैसे कि बिजली की आपूर्ति और स्वच्छ खाना पकाने की जगह के साथ 25 वर्ग मीटर होना चाहिए। अगर आपको घर बनाने के लिए इससे ज्यादा रकम चाहिए तो आपको उस अतिरिक्त रकम पर आम ब्याज दर से लोन लेना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की अधिक जानकारी के लिए https://pmayg.nic.in/ बेवसाइट देखें।

3–प्रधानमंत्री जनधन योजनाः–

प्रधानमंत्री जन–धन सरकारी योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को गई। यह योजना उन गरीब लोगों के लिए चलाई गई है जो भारत के देशवासी तो है लेकिन उनका किसी भी बैंक में खाता मौजूद नहीं है। ऐसे लोग इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकते है। देश का कोई भी व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत अपना बैंक खाता खुलवा सकता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य देश में वित्तीय समावेशन लाना है। इस योजना के पीछे सरकार की लक्ष्य है कि जन धन योजना के तहत लोगों को नए बैंक खातें खोलने के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री जन–धन योजना से जुड़े खाताधारकों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। जन–धन योजना में खोले गए खाते में केंद्र सरकार ने पांच हजार रुपए के ओवरड्राफ्ट की सुविधा को दोगुना कर 10,000 रुपए कर दिया है। प्रधानमंत्री जन–धन योजना खाता खोलने के साथ अलग–अलग तरीके से वित्तीय सेवाएं प्रदान कराती है जैसे– बैंकिंग बचत खाता तथा जमा खाते, लोन, बीमा, पेंशन जैसी सुविधाएं प्रदान करती है । जन धन खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) में खोला जा सकता है। यह खाता निःशुल्क बैलेंस के साथ इस सरकारी योजना में खोला जा सकता है। अगर आप किसी भी बैंक में खाता खुलवाते है तो आपको 1000/– या 500/– रुपए का चार्ज देना होता है, लेकिन इस जन धन खाते में आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके अंतर्गत 11 करोड़ लोग खाता खुलवा चुके हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना की अधिक जानकारी के लिए

https://www.pmjdy.gov.in/ बेवसाइट देखें।

4. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनाः–

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को केंद्र सरकार ने 9 मई 2015 को शुरू किया था। देश के हर आदमी तक जीवन बीमा का लाभ पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना में एक टर्म इन्शुरन्स प्लान है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में निवेश के बाद अगर किसी कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता इस सरकारी योजना में दी जाती है। इसमें आपको वार्षिक प्रीमियम देना पड़ता है। मौजूदा अन्य बीमा योजना के मुकाबले यह काफी कम प्रीमियम वाली योजना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को बैंकों के द्वारा चलाई जाती है और बैंक खाताधारक को ही ये बीमा पॉलिसी प्रदान की जाती है। इस बीमा योजना को खरीदने के लिए किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमा कराने के लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 50 वर्ष है और पॉलिसी की परिपक्वता की आयु 55 वर्ष है। इस योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम 330 रुपए है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनाकी अधिक जानकारी के लिए बेवसाइट https://www.jansuraksha.gov.in/ देखे।

5. प्रधानमंत्री उज्जवला योजनाः–

केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री उज्वला योजना को 1 मई 2016 को लांच किया गया था। यह योजना केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री उज्जवला सरकारी योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को भारत सरकार द्वारा गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना महिलाओं के लिए है ताकि उनको खाना बनाने में कोई भी मुश्किल न हो। इस योजना के अंतर्गत वीपीएल तथा अंतोदय सभी परिवारों को गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। इस योजना के तहत गैस कनेक्शन के साथ सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में डाली जाती है। आपको बता दें पीएम उज्जवला योजना के तहत गरीब परिवारों को सरकार वित्तीय सहायता पहुंचाती है। इसमें सरकार की ओर से 1600 रुपए दिए जाते हैं। ये पैसे एलपीजी गैस कनेक्शन खरीदने के लिए दिए जाते हैं। इसके साथ ही चूल्हा खरीदने और पहली बार एलपीजी सिलेंडर भराने में आने वाले खर्च को चुकाने के लिए किस्त की सुविधा भी दी जा सकतीहै।प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की अधिक जानकारी के लिए बेवसाइट http://bit.ly/2MMCj0B देखें।

6.प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना/कार्यक्रमः–

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के से भी जाना जाता है। इस योजना के माध्यम से सभी गरीब बेरोजगारों को लोन की सुविधा दी जाती है ताकि अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें। इस योजना के तहत लोन दो क्षेत्रों में दिया जाता है निर्माण क्षेत्र सेक्टर तथा सर्विस सेक्टर। योजना का प्रमुख उद्देश्य सभी ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्रों में सभी बेरोजगारों को रोजगार देना है। इस योजना के तहत आपको 10 लाख से 25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। सरकार का लक्ष्य मार्च 2020 तक इस योजना के तहत 14 लाख नए रोजगार पैदा करने का है। इस योजना के तहत लिए गए लोन पर आपको 15–35 प्रतिशत फीसदी सब्सिडी का भी प्रावधान है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की अधिक जानकारी के लिए बेवसाइट https://www.jansuraksha.gov.in/ देखें।

7–प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाः–

केंद्र सरकार की ओर से किसानों को बारिश, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं फसल को हुए नुकसान से राहत

पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत किसानों को सभी तरह की खरीफ फसलों के लिए कुल बीमा राशि का एक समान केवल 2 प्रतिशत, सभी तरह की रबी फसलों के लिए एक समान 1.5 प्रतिशत प्रीमियम राशि का ही भुगतान करना होता है। वार्षिक व्यावसायिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा कुल बीमा राशि की केवल 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि का ही भुगतान करना होगा। किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की दर बहुत कम है और प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल नुकसान के लिए किसानों को पूरी बीमा राशि मिलने के लिए शेष प्रीमियम राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। इस योजना में सरकारी सब्सिडी की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। यहां तक कि यदि शेष प्रीमियम 90 प्रतिशत है, तब भी उसका वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। इससे पहले, प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधान था जिसके कारण किसानों को कम दावे का भुगतान किया जा रहा था। यह कैपिंग प्रीमियम सब्सिडी पर सरकारी खर्च को सीमित करने के लिए लगाई गई थी। इस कैपिंग को अब हटा लिया गया है और किसान बिना किसी कटौती के पूरी बीमा राशि पर दावा ले सकेंगे। नई फसल बीमा योजना एक राष्ट्र –एक योजना की तर्ज पर है। इसमें पिछली सभी सर्वश्रेष्ठ योजनाओं की विशेषताओं को शामिल किया गया है और पिछली कमियों अथवा कमजोरियों को हटा दिया गया है ।प्रधानमंत्री फसलबीमा योजना की अधिक जानकारी केलिए बेवसाइट https://www.icar.org.in/hi/node/2475 देखें।

8. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजनाः–

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाम से भी जाना जाता है। इस सरकारी योजना को देश के गरीब लोगों के स्वास्थ्य बीमा के लिए शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश के 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए वार्षिक तक का बीमा प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य भारत के सभी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहयता प्रदान करना है। इस योजना के लाभ अभी तक 10 लाख परिवारों को पहुंचाया जा चुका है। आयुष्मान भारत के तहत होने वालें इलाज जैसे– कैंसर, किडनी, दिल की बीमारी और लीवर की बीमारी, डायबटीज जैसी 1300 से अधिक बिमारियों का इलाज उपलब्ध है। हर बार हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी सरकार देगी इलाज देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में कैशलेस इलाज कराया जा सकेगा। इस योजना के तहत कोई भी (विशेष रूप से महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग) इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए फैमिली साइज और उम्र पर कोई सीमा नहीं लगाई गई है। इस स्कीम में अस्पताल में भर्ती होने और उसके बाद के खर्च को शामिल किया गया है।प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की अधिक जानकारी के लिए बेवसाइट https://pmjay.gov.in/hi देखें।

9.सुकन्या समृद्धि योजनाः–

अगर आप अपनी बेटी की पढ़ाई या शादी के खर्च को लेकर चिंतित है तो सुकन्य समृद्धि योजना आपकी इसमें सहायता कर सकती है। सुकन्या योजना बेटियों की शिक्षा और उनके शादी के खर्चों को पूरा कराने में सहायता देती है। इस सरकारी योजना के तहत अभी 8.1 प्रतिश ब्याज मिलता है, आयकर की धारा 80सी के तहत इस योजना में निवेश करने पर टैक्स छूट भी मिलती है। इसका अर्थ यह है कि आप वार्षिक 1.5 लाख रुपए के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से यह योजना 4 दिसंबर 2014 को शुरू की गई थी। इस योजना को छोटी बचत योजना के नाम से भी जाना जाता है। पहले इस योजना में न्यूनतम जमा राशि को 1,000 रुपए थी जो अब घटाकर 250 रुपए कर दि गई है। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता किसी भी नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से 10 वर्ष तक की आयु में खाता खोला जा सकता है।

इस योजना के तहत खोले गए खाते में बेटी के नाम से एक साल में 1 हजार से लेकर 1 लाख पचास हजार रुपए तक आप जमा कर सकते है। निश्चित आमदनी के साथ पूंजी की सुरक्षा इस योजना की विशेषता है। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलने के दिन से 14 साल पूरा होने तक निवेश करना होता है। लेकिन यह खाता 21 साल पूरा होने पर मेच्योर होता है। खाते के 14 साल पूरा होने के बाद से 21 साल तक खाते में उस समय के तय ब्याज दर के हिसाब से पैसा जुड़ता रहेगा। इस योजना में यदि आप रोजाना के 35 रुपए यानी महीने में करीब 1,000 रुपए भी जमा कराते हैं तो यह सालाना 12,000 रुपए हो जाएंगे, जमा करने पर आपको मैच्योरिटी पर 5 लाख रुपए से अधिक मिल राशि मिल जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना की अधिक जानकारी के लिए इसकी बेवसाइट https://www.india.gov.in/hi/ देखें।

10. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनाः–

मोदी सरकार ने नौकरीपेशा वर्ग की तरह रिटायरमेंट के बाद अब किसानों को भी पेंशन योजना की सौगात दी है। यह योजना केन्द्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को 60 साल की उम्र के बाद न्यूनतम 3000 रुपए पेंशन दी जाती है। इस योजना में 18 से 40 की उम्र का कई किसान पीएम किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवेदक किसान को 55 रुपए से 200 रुपये के बीच हर महीने 60 साल की उम्र तक योगदान करना होता है। 60 की उम्र के बाद किसानों को योजना के तहत कम से कम 3 हजार रुपए महीना पेंशन दी जाती है। इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) करती है। इस योजना का लाभ ऐसे किसान उठा सकते हैं जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ही खेती योग्य जमीन है। अगर 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 55 रुपए हर महीने होगा। पीएम किसान मानधन में जितना योगदान किसान का होगा, उसी के बराबर योगदान सरकार भी पीएम किसान खाते में करेगी। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसान की पत्नी पारिवारिक पेंशन के रूप में 50 प्रतिशत पेंशन पाने का हकदार होगी। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की अधिक जानकारी के लिए इसकी बेवसाइट https://maandhan.in देखें।

11.प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाः–

भारत सरकार जल संरक्षण और उस के प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस आशयकेलिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को 'हर खेत को पानी' सिंचाई के कवरेज को बढ़ाने और पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करने के लिए 'प्रति बूंद अधिक फसल' पर केंद्रित तरीके से शुरू से अंत तकसमाधान के साथ तैयार किया गया है। स्रोत निर्माण, वितरण, प्रबंधन, क्षेत्र अनुप्रयोग औरविस्तार गतिविधियाँ। माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 01 जुलाई, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को मंजूरी दे दी है। DA&FW प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू कर रहा है जो देश में 2015–16 से चालू है। प्रति बूंद अधिक फसल योजना मुख्य रूप से सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली) के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता पर केंद्रित है। पीडीएमसी को 2022–23 से आरकेवीवाई के तहत लागू किया जा रहा है।

12.मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजनाः–

योजना का उद्देश्य राज्य के सभी राजस्व गाँवो में एक साथ उन्नत प्रभेदों के बीज उपलब्ध कराकर बीज उत्पादन हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना है। आधार बीज का वितरण सभी जिला एवं प्रखंड मुख्यालयों में शिविर आयोजित कर किया जाता है। बीज वितरण के समय ही सभी चयनित किसानों को प्रखंड स्तर पर बीजोत्पादन का प्रशिक्षण दिया जाता है।मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत

जिले के राजस्व ग्राम के चयनित किसानों को 90: सब्सिडी पर धान, गेहूं के बीज उपलब्ध कराया जाएगा. इस योजना का उद्देश्य जिले में गुणवत्ता वाले बीज की पहुंच सुदुर ग्रामीण क्षेत्रों में करने और उसके उपयोग को बढ़ावा देना है।

13.मुख्यमंत्री सोलर पंप योजनाः–

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का शुभारम्भ राज्य सरकारों द्वारा किसानो को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानो को खेत में सिचाई करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सोलर पम्प वितरित किये जाते है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश के तहत केंद्र सरकार व मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत किसान सोलर पम्प प्राप्त करके अपने खेतो में आसानी से सिचाई कर सकते है।

14.कृषि यन्त्र अनुदान योजनाः–

कृषि यन्त्र अनुदान योजना का लाभ अनेक राज्यों के सभी किसानों को प्राप्त होगा। इस योजना के तहत उन किसानों को लाभ दिया जाएगा। जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण यह कम पैसे होने के कारण कृषि से संबंधित यंत्र नहीं खरीद पा रहे हैं। अर्थात यंत्र खरीदने में असमर्थ है। बिहार सरकार द्वारा बहुत ही कम कीमत पर अपनी जरूरत के अनुसार इस योजना के तहत किसान यंत्र खरीद सकेंगे। इससे उनकी खेती भी प्रभावित नहीं होगी। बिहार कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा।इस योजना के तहत खेत की जुताई, बुवाई, निकाई गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, दौनी इत्यादि तथा गन्ना एवं उद्यान से संबंधित कृषि यंत्र किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार द्वारा गठित राशि का कम से कम 18% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कृषक को इस योजना के अंतर्गत जिलों के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति के समतुल्य अनुदान का लाभ दिए जाने पर खर्च किए जाएंगे। किसानों को कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित सूचीबद्ध कृषि यंत्रों पर इस योजना के माध्यम से 10% वृद्धि कर अनुदान दर प्रतिशत तथा अनुदान दर के अधिकतम सीमा मेंसरकार द्वारा दिया जाएगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति में इसकेलिए अनुदान दर यंत्र की कीमत 80% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के माध्यम से किसानों को खेती करने में सहायता प्राप्त होगी।

15. मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाः–

यह योजना बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने पर 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना को सरकार ने उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए आरंभ किया है। इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी की दरों में कमी आएगी तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। जिससे कि वह अपना खुद का उद्योग शुरू कर पाए। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए बिहार सरकार ने 102 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लख रुपए के प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के नागरिक उठा सकते हैं। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023 के माध्यम से बिहार सरकार उद्योग को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रही है। इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी की दरों में कमी आएगी।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में भी इस योजना के माध्यम से सुधार आएगा। इस योजना के लिए बिहार सरकार द्वारा 102 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि में से 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे तथा 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन के रूप में प्रदान किए जाएंगे।इस योजना के माध्यम से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत

बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी।अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को बेहतर आजीविका प्राप्त होगी। लोन की राशि 84 किस्तों में जमा करनी होगी। लोन ब्याज मुक्त होगा।

प्रशिक्षण तथा परियोजना निगरानी के लिए सरकार द्वारा ₹25000 प्रदान किए जाएंगे। लोन लेने के लिए किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक से लाभार्थी द्वारा स्वयं घोषणा करना अनिवार्य है।

16–प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी):–

भारत सरकार ने संकल्प लिया कि वह किसी को, विशेषकर किसी गरीब परिवार को, कोविड–19 के कारण खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण परेशानी नहीं होने देगी। इस योजना के तहत 80 करोड़ व्यक्तियों यानी भारत की लगभग दो–तिहाई आबादी को कवर किया जाना था।प्रत्येक व्यक्ति को अगले तीन महीनों में उनकी वर्तमान पात्रता का दोगुना प्रदान किया जाना था।

यह अतिरिक्त सुविधा निःशुल्क थी। केंद्रीय बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बढ़ाने की घोषणा की है। सरकार द्वारा इस योजना को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब गरीब परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा एक साल तक और फ्री में राशन मुहैया कराया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के गरीब परिवारों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन फ्री में प्रदान किया जाता है।

आपको बता दें कि इस योजना को करोना काल के दौरान अप्रैल 2020 में आरंभ किया गया था। जिसे तब से लेकर अब तक 7 चरणों में इस योजना का लाभ गरीब परिवारों को दिया जा चुका है। वहीं अब आठवें चरण में इसे 1 फरवरी 2023 से 1 साल से के लिए बढ़ा दिया गया है। देश के गरीब परिवार 2024 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

17–प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना:–

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्नयोजना को कोविड–19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिये के हिस्से के रूप मेंशुरूकिया गया था। इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहले से ही प्रदान किये जा रहे 5 किलोग्राम अनुदानित खाद्यान्न केअलावा प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज (गेहूँ या चावल) मुफ्त में उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।प्रारंभ में इस योजना की शुरुआत तीन माह (अप्रैल, मई और जून 2020) की अवधि के लिये की गई थी, जिसमें कुल 80 करोड़ राशन कार्ड धारक शामिल थे। बाद में इसे सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था। वित्त मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। देश भर में लगभग 5 लख राशन की दुकानोंसे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कोई भी प्रवासी श्रमिक या लाभार्थी पोर्टेबिलिटी के माध्यम से मुफ्त राशन का लाभ उठा सकता है।

घोषणा

- इस लेख का मुख्य उददेृश्य पाठको को एक ही जगह ज्यादा से ज्यादा जानकारी उपलब्ध कराना है।
- इस लेख द्वारा लेखकगण किसी भी राजनीतिक दल/राजनीति का सर्मथन नही करते है।
- इस लेख में किसी भी राज्य विषेश द्वारा संचालित योजनाओं को संकलित नही किया है। प्रयास किया गया है कि अधिक से अधिक जानकारी को संकलित किया जा सके।
- संदर्भ के माध्यम से जिन भी स्रोतो से जानकारी ली गयी है उनका उल्लेख किया गया है एवं धन्यवाद के पात्र है।
- इस लेख का उददेृश्य किसी को भी किसी भी प्रकार की ठेस पहुचाना नही है।